झारखण्ड सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(समन्वय)

:: **अ धि सू च ना** ::

राँची, दिनांक 14 अगस्त, 2020 ई०।

संख्या– म०म०स०–13/विविध –1009/2002 998 / बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा–85 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना संख्या–269, दिनांक 26.02.2002 द्वारा अधिसूचित झारखण्ड राज्य के राज्य संप्रतीक (State Emblem) के स्थान पर निम्न अंकित चिन्ह को भारत का राज्य संप्रतीक (प्रयोग का विनियम) नियम, 2007 के नियम– 4(2) के अपेक्षानुसार भारत सरकार के अनुमोदनोपरांत झारखण्ड राज्य सरकार के राज्य संप्रतीक (State Emblem) के रूप में अंगीकृत किया जाता है –

"राज्य संप्रतीक का विन्यास चक्राकार है जो राज्य की प्रगति का प्रतीक है। वृत्ताकार खण्ड में प्रयुक्त हरा रंग झारखण्ड की हरी–भरी धरती एवं वन सम्पदा को प्रतिबिम्बित करता है। इसमें प्रयुक्त किया गया 'हाथी' राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक होने के साथ ही राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों एवं समृद्धि को दर्शाता है। राज्य संप्रतीक में प्रयुक्त किया गया 'पलाश का फूल' राज्य के अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक है तथा वृत्ताकार खण्डों के बीच सुशोभित 'सौर चित्रकारी' जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिम्बित करता है। चक्र के मध्य में प्रयुक्त 'अशोक स्तम्भ' राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होने के साथ ही उपबंधित शक्तियों के अन्तर्गत राज्य के सम्प्रभु शक्ति का द्योतक है और देश के विकास में झारखण्ड की भागीदारी को भी प्रदर्शित करता है।"

2. राज्य संप्रतीक (State Emblem) में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह् 'अशोक स्तंभ' के साथ–साथ वृत्ताकार खण्डों के बीच 24 हाथी, 24 पलाश के फूल, सौर चित्रकारी के 48 नर्तक तथा अंतिम चक्र में 60 सफेद वृत्त प्रयुक्त किये गये हैं।

3. झारखण्ड राज्य सरकार के राज्य संप्रतीक (State Emblem) के रूप में यह 15 अगस्त, 2020 की तिथि से प्रभावी होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

14/8/2020

(हिमानी पाण्डे)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक– म०म०स०–13/विविध –1009/2002 998 / रांची, दिनांक 14 अगस्त, 2020।

प्रतिलिपिः राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव कार्यालय के उप सचिव/विकास आयुक्त/सभी अपर मुख्य सचिव/सरकार के सभी प्रधान सचिव/सरकार के सभी सचिव/स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन, नई दिल्ली/सभी विभागाध्यक्ष/पुलिस महानिदेशक/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची/सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक/निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/8/2020

सरकार के सचिव

ज्ञापांक– म०म०स०–13/विविध –1009/2002 998 / रांची, दिनांक 14 अगस्त, 2020।

प्रतिलिपिः संयुक्त सचिव (पब्लिक अनुभाग), गृह मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/8/2020

सरकार के सचिव

1125

ज्ञापांक– म0म0स0–13 / विविध –1009 / 2002 998 / रांची, दिनांक 14 अगस्त, 2020।

प्रतिलिपिः अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची / नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) झारखंड को अधिसूचना की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं झारखण्ड राजपत्र (ई–गजट) में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव